अतारांकित प्रश्न कमांक 3036 **परिशिष्ट–अ**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य द्वारा बनाए गये शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में पड़ोस की सीमा और पड़ोस की विस्तारित सीमा परिभाषित हैं। यह परिभाषाएं निम्नानुसार हैः–

नियम 2 (ट) –"पड़ोस की सीमा" से अभिप्रत है, कक्षा एक से पांच की दशा में ,ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो, तथा नगरीय क्षेत्र में, वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो।

नियम 2 (ज) –"पड़ोस की विस्तारित सीमा" से अभिप्रत है, खण्ड (ट) के अधीन परिभाषित पड़ोस की सीमा के पड़ोस क्षेत्र।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल में कक्षा 1 में या प्री–स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश का लाभ वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को दिये जाने का प्रावधान है । राज्य द्वारा वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग को निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है –

(अ) वंचित समूहः–
(i) अनसूचित जाति
(ii) अनसूचित जन जाति
(iii) विमुक्त जाति
(iv) वनग्राम के पट्टाधारी परिवार/वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार पत्रधारी परिवार
(v) निःशक्त बच्चे

(ब) कमजोर वर्गः– गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार।

16/2

Section Officer,
Govt. of Madhya Pradesh,
School Education Department,
Mantralaya, Bhopal

अतारांकित प्रश्न कमांक 3036 परिशिष्ट--ब

आगर जिले के अशासकीय विद्यालयों की सूची जो आर.टी.ई के अंतर्गत 25 प्रतिशत प्रवेश नहीं देते है –

1. पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल आगर
2. सेन्ट सेबेस्टीयन कानड
3. जैन प्राथमिक विद्यालय आगर
4. मदरसा शिब्ली नोमामी कानड
5. मदरसा इकराउल्लूम बडौद, विकासखंड सुसनेर

Section Officer,
Govt. of Madhya Pradesh,
School Education Department,
Mantralaya, Bhopal